कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

सख्या: 2517 /XXV–(P-7)/2008 देहरादूनः दिनाक 12 जून, 2019.

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय
रूद्रप्रयाग।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्र का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनु सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1081/रा0नि0आ0–1/2626/2019 दिनांक 11 जून, 2019 के साथ संलग्न श्री जमन सिंह रावत, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम कमोल्डी, पोस्ट–क्वाली, जनपद–रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड के प्रार्थना पत्र दिनांक 28 जून, 2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डी0पी0डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 2517/XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि श्री जमन सिंह रावत, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम कमोल्डी, पोस्ट–क्वाली, जनपद–रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

((डी0पी0डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2019

प्राप्त – 11/6/2019

सूचना का अधिकार

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष . 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या– 1081 /रा0नि0आ0–1/2626/2019 दिनांक 11 जून, 2019

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
अनुभाग अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

कृपया श्री जमन सिंह रावत, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम कमोल्डी, पोस्ट–क्वाली, जनपद–रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड का सूचना अनुरोध–पत्र दिनांक 28.05.2019 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 07.06.2019 को प्राप्त हुआ है। अनुरोधकर्ता के उक्त अनुरोध–पत्र को मूलरूप में संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि अनुरोध–पत्र में उल्लिखित सूचना जो आपके कार्यालय/विभाग से संबंधित है। आवेदक द्वारा वांछित सूचना से संबंधित सूचना अनुरोध–पत्र दिनांक 07.05.2019 जो इस कार्यालय के पत्र संख्या–925/रा0नि0आ0–1/2626/2019 दिनांक 21 मई, 2019 द्वारा आपको अंतरित किया गया है।**(छायाप्रति संलग्न)** कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

11/6/19

(बी0पी0कोठारी)
अनु सचिव/लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7534820707

संख्या– /रा0नि0आ0–1/2589/2019 तद्दिनांक।(पंजीकृत)

प्रतिलिपिः– श्री जमन सिंह रावत, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम कमोल्डी, पोस्ट–क्वाली, जनपद–रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड को उनके सूचना अनुरोध–पत्र दिनांक 28.05.2019 में उल्लिखित पूर्व सूचना अनुरोध–पत्र दिनांक 07.05.2019 जो आयोग के पत्र संख्या–925/रा0नि0आ0–1/2626/2019 दिनांक 21.05.2019 द्वारा लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून को अंतरित किया गया है**(छायाप्रति संलग्न)** के क्रम में आपके सूचना अनुरोध–पत्र दिनांक 28.05.2019 को भी लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून को अंतरित कर दिया गया है।

यदि आपको उपरोक्तानुसार लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून से उक्त सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा उनके द्वारा दी गयी सूचना से संतुष्ट न हों तो कृपया आप उक्त कार्यालय के विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील योजित कर सकते हैं।

(बी0पी0कोठारी)
अनु सचिव/लोक सूचना अधिकारी।

सूचना
का अधिकार

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष . 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या– 925 /रा0नि0आ0–1/2626/2019 दिनांक 21 मई, 2019

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
अनुभाग अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

कृपया श्री जमन सिंह रावत, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम कमोल्डी, पोस्ट–क्वाली, जनपद–रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड का सूचना अनुरोध–पत्र दिनांक 07.05.2019 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 20.05.2019 को प्राप्त हुआ है। अनुरोधकर्ता के उक्त अनुरोध–पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अनुरोध–पत्र में चाही गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है, कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
21/5/19
(बी0पी0कोठारी)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7534820707

संख्या–925/रा0नि0आ0–1/2626/2019 तद्दिनांक।(पंजीकृत)

प्रतिलिपिः– श्री जमन सिंह रावत, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम कमोल्डी, पोस्ट–क्वाली, जनपद–रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।

21/5/19
(बी0पी0कोठारी)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।

कार्यालय पत्र सं0 2407
दि0 22 मई, 2019 द्वारा PIO
DEO Rudraparyag को प्रेषित
किया गया है।
ARO

253/31/RS/19

P.I.O.

20-5-19

(के0 सी0 चौधरी)
निजी सचिव
राज्य निर्वाचन आयुक्त
उत्तराखण्ड

प्रेषक

जमन सिंह रावत,
ग्राम कमोल्डी पोस्ट ऑफिस क्वाली,
जनपद रूद्रप्रयाग, (उत्तराखण्ड)।

सेवा में,

श्रीमान राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय–प्रथम सूचना अधिकार कानून धारा 19 (1) मत केन्द्र के सम्बन्ध में।

माननीय श्रीमान,

सविनय निवेदन है कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और चुनावों में हर बार अपने मत का प्रयोग करता हूँ। कृपया मुझे उपरोक्त आर.टी.आई के तहत निम्न सूचना प्रदान की जाये–

श्री स0प्रा0

26/5/19

(बी0 पी0 कोठारी)
अनु सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

1. राज्य में जब वर्ष 2017 में विधान सभा के चुनाव हुए और फिर 2019 में लोक सभा के चुनाव हुए दोनो बार ग्राम सभा कमोल्डी में मतदान केन्द्र था पर कमोल्डी ग्राम सभा के आधे से अधिक मतदाताओं के नाम पिपली ग्राम सभा के मतदान केन्द्र में थे। जहां कि उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया जबकि आधे से कम मतदाताओं के नाम अपने ग्राम सभा कमोल्डी के मतदान केन्द्र में थे। इसके सम्बन्ध में लिखित में सत्यापित कापी उपलब्ध करवाई जायें ऐसा क्यों हुआ?
2. क्या ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव पंचायत राज एक्ट 1961 एवं संसोधित एक्ट 1994 के तहत ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके इसके सम्बन्धित सम्बन्धित विभाग को भेजा गया था यदि हाँ तो प्रस्ताव की सत्यापित की कापी उपलब्ध करवाई जायें।

उपरोक्त दोनों बिन्दुओं मध्यनजर रखते हुए लगता है कि आचार सहिता का पूर्ण रूप से उल्लन हुआ है इसके सम्बन्ध में जबाव समय अवधि तक उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

नोटः– भारतीय डाक पोर्टल नं. 47F-987684 दिनांक 2/5/19 ....10/– रूपये फीस साथ संलग्न हैं।

दिनांकः– 7/5/2019

प्रार्थी

(जमन सिंह रावत)
समाजिक कार्यकर्त्ता
मो. 9878067474

Reg letter

198
7/6/19

श्री नथ्याल
7/6/19
(डी. पी. कोठारी)
अनु सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

प्रेषक

जमन सिंह रावत,
ग्राम कमोल्डी पोस्ट ऑफिस क्वाली
जनपद रूद्रप्रयाग, (उत्तराखण्ड)।

सेवा में,

श्रीमान जी राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय– प्रथम सूचना अधिकार कानून धारा 19 (1) मत केन्द्र के सम्बन्ध में।

श्रीमान जी,

मेरे रजिस्र्ड पत्रांक **RH380649838IN IVR 8272380649838 dated 08-05-2019** के क्रम में।

<u>निम्न सूचना पैरा नं. 1. के उप पैरा संख्या में शामिल किया जायें :–</u>

अ) इसके अलावा ग्राम सभा क्वाली के मतदाताओं का मतदान केन्द्र ग्राम सभा कमोल्डी के मतदान केन्द्र में था जहाँ उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। जब दूसरी ग्राम सभा के मत कमोल्डी ग्राम के मतदान केन्द्र में अपने मतदान हमारे ग्राम सभा केन्द्र में कर सकते है तो ग्राम सभा कमोल्डी के मतदाता दूसरी ग्राम सभा पीपली के मतदान केन्द्र में क्यों अपने मत का प्रयोग करें। स्पष्टीकरण दें।

प्रार्थी

(जमन सिंह रावत)
समाजिक कार्यकर्त्ता
मो. 9878067474

दिनांकः– 28–05–2019